

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 17/2022

1. जगदीप सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--वादी

बनाम

1. गुरलाल सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. किरणदीप कौर पुत्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।


--प्रतिवादीगण

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2


निर्णय

दिनांक :- 20/01/2022

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी बी के खाता संख्या 4/63 के प.न. 21/257 (56) कि0न0 18 ता 20, 22/2, 23, प0न0 22/259(69) कि0न0 5, 6, प0न0 23/259(70) कि0न0 11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 19, प0न0 24/259(71) कि0न0 14/2, 15/1, 15/2 कुल 3.859 है0  अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का वादी जगदीप सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राजस्थान) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन

मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 20/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

 20/01/2022
(रसहायक कलक्टर) एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा